कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

आदेश

ज़िला न्यायालय (उत्तर), रोहिणी, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी अनुभाग की स्थापना, सुचारू रूप से संचालन तथा ज़िला न्यायालय (उत्तर) में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हेतु श्री सोहन प्रकाश, न्यायिक सहायक व श्री विजय कुमार, कनिष्ठ न्यायिक सहायक, वर्तमान में सर्तकता एवं सूचना का अधिकार विभाग (उत्तर) में कार्यरत हैं, को उनके वर्तमान कार्य के साथ हिन्दी अनुभाग (उत्तर) के कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

राजभाषा हिन्दी अनुभाग में पदस्थापित कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी / नोडल अधिकारी (उत्तर) एवं केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय की देख रेख में कार्य करेंगे।

रमेश कुमार

(रमेश कुमार-1)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
(कार्यवाहक)

संख्या 13104-13149 एफ.2/उ(2)/प्रशासन अनुभाग (उ)/2018 दिल्ली, दिनांक 21/5/18

उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपी सूचना हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः

1. माननीय महापंजीयक, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
4. सभी न्यायिक अधिकारी (उ), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
5. सभी प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (उ), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
6. संबंधित अधिकारी एवं अनुभाग प्रभारी (उ), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
7. अभिलेख अधिकारी, जिला उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
8. जन संपर्क अधिकारी, जिला उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
9. जन सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अनुभाग, जिला उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
10. अनुभाग प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतू।
11. वेबसाइट समिति (अंग्रेजी/हिन्दी), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

रमेश कुमार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
(कार्यवाहक)